

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-17/2016-

83 (आवंटन) कृ., पटना, दिनांक 06-07-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर/रोहतास/कैमुर (मधुआ)/गया / जहानाबाद/अरवल/नवादा/ औरंगाबाद/ भागलपुर/बाँका/ मुंगेर/ जमुई/ लखीसराय/शेखपुरा/ सारण/सिवान/गोपालगंज /मुजफ्फरपुर /वैशाली /सीतामढ़ी /शिवहर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/दरभंगा/ मधुबनी/ समस्तीपुर/ बेगुसराय/सहरसा/सुपौल/ मधेपुरा/ खगड़िया/पूर्णियाँ/ किशनगंज/अररिया/कटिहार।

विषय :

कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2016-17 में ज़िरो टिलेज विधि का प्रत्यक्ष एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत 1657.60 लाख रु० (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार रु०) मात्र की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 331.52 लाख रु० (तीन करोड़ एकतीस लाख बावन हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹3,31,51,800 (तीन करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3663-दिनांक-22.08.2016 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2016-17 में ज़िरो टिलेज विधि का प्रत्यक्ष एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत 1657.60 लाख रु० (सोलह करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार रु०) मात्र की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 331.52 लाख रु० (तीन करोड़ एकतीस लाख बावन हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹3,31,51,800 (तीन करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

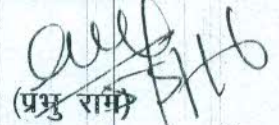
2. उपरोक्त ₹3,31,51,800 (तीन करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0106-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-P2401007890106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-3301-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

  
(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

83 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-09-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

83 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-09-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रीकरण कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

83 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 06-09-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

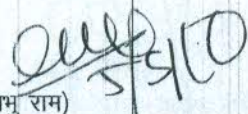
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

स्वीकृत्यादेश संख्या-3663 दिनांक-22.08.2016 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जीरो टिलेज विधि का प्रत्यक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890106 (राशि रुपये में)

| क्र.सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी            | स्वीकृत राशि | आवंटित राशि |
|---------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 1       | 2                                     | 3            | 4           |
| 1       | जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।            | 12,96,500    | 12,96,500   |
| 2       | जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।         | 9,76,800     | 9,76,800    |
| 3       | जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।          | 8,93,900     | 8,93,900    |
| 4       | जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।           | 5,56,500     | 5,56,500    |
| 5       | जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।          | 9,65,000     | 9,65,000    |
| 6       | जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।            | 5,92,000     | 5,92,000    |
| 7       | जिला कृषि पदाधिकारी, गया।             | 12,99,400    | 12,99,400   |
| 8       | जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।        | 3,64,100     | 3,64,100    |
| 9       | जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।            | 2,66,400     | 2,66,400    |
| 10      | जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।           | 7,31,100     | 7,31,100    |
| 11      | जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।        | 7,96,200     | 7,96,200    |
| 12      | जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।         | 9,47,200     | 9,47,200    |
| 13      | जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।           | 7,25,200     | 7,25,200    |
| 14      | जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।          | 3,96,600     | 3,96,600    |
| 15      | जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।            | 5,97,900     | 5,97,900    |
| 16      | जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।         | 3,13,800     | 3,13,800    |
| 17      | जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।         | 2,13,100     | 2,13,100    |
| 18      | जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।            | 12,93,500    | 12,93,500   |
| 19      | जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।           | 11,48,500    | 11,48,500   |
| 20      | जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।        | 9,17,600     | 9,17,600    |
| 21      | जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।      | 15,15,500    | 15,15,500   |
| 22      | जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।          | 11,36,600    | 11,36,600   |
| 23      | जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।        | 10,68,600    | 10,68,600   |
| 24      | जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।           | 2,07,200     | 2,07,200    |
| 25      | जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।  | 16,07,300    | 16,07,300   |
| 26      | जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण। | 12,34,300    | 12,34,300   |
| 27      | जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।          | 12,93,500    | 12,93,500   |
| 28      | जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।          | 15,62,900    | 15,62,900   |
| 29      | जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।       | 14,91,800    | 14,91,800   |
| 30      | जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय।        | 10,06,400    | 10,06,400   |
| 31      | जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।           | 5,97,900     | 5,97,900    |
| 32      | जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।           | 7,10,400     | 7,10,400    |
| 33      | जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।         | 6,66,000     | 6,66,000    |
| 34      | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।         | 5,06,200     | 5,06,200    |
| 35      | जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।       | 9,82,700     | 9,82,700    |
| 36      | जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।         | 4,94,300     | 4,94,300    |
| 37      | जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।          | 8,55,400     | 8,55,400    |
| 38      | जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।          | 9,23,500     | 9,23,500    |
|         | कुल                                   | 3,31,51,800  | 3,31,51,800 |

कुल- (तीन करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार आठ सौ रूप) मात्र।

  
(प्रमु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।